

विनिद्धाः स्त्रांत्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] No. 3941

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2006/वैशाख 5, 1928 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2006/VAISAKHA 5, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2006

का.आ. 593(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, यह निदेश देते हैं कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, अपने-अपने राज्यक्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

[फा. सं. यू-11030/1/2005-यूटीएल]

के. एस. सुगतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2006

S.O. 593(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators of all the Union Territories shall, subject to the control of the President and until further orders, within their respective territories, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001).

> [F. No. U-11030/1/2005-UTL] K.S. SUGATHAN, Jt. Secy.